संख्या-3455/स्पे०कम्पा०/26-3-90-25(1)/90

प्रेषक,

जगन्नाथ सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अपर निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
महानगर, लखनऊ।

हरिजन एवं समाज कल्याण अनु0-3
(स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान कोष्ठक)

लखनऊ: दिनांक 24 नवम्बर, 1990

विषय:- स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, के पत्र संख्या24/योजना-90-91 दिनांक 3.8.90 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत अंश गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से व्यय करने पर भारत सरकार ने अनापत्ति व्यक्त कर दी है। तदनुसार श्री राज्यपाल संलगनक-1 से 6 में उल्लिखित छ: रोजगारोन्मुख ट्रेड्स में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित किये जाने के लिये वर्ष 1990-91 हेतु कुल रू0 7,80,680/-(रुपये सात लाख अस्सी हजार छह सौ अस्सी मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु उक्त निगम को अनुदान स्वरूप भुगतान करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त छ: ट्रेड्स में प्रशिक्षण राजकीय औद्योगिक संस्थानों द्वारा दिया जायगा। शेष छटे फाइबर ग्लास मोल्डिंग ट्रेड में प्रशिक्षण श्रमिक विद्यापीठ लखनऊ द्वारा दिया जायेगा ।

(2) प्रशिक्षण में प्रयुक्त होने वाले हैण्ड-टूल्स तथा पुस्तकों आदि का प्रयोग आगामी सत्रों में भी आवश्यकतानुसार किया जायेगा और उन्हें सुरक्षित रक्खा जायेगा ।

(3) उपकरणों आदि का क्रय भण्डार क्रय नियमों के अनुसार न्यूनतम लागत पर किया जायगा तथा क्रय के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

(4) उपर्युक्त धनराशि आपके द्वारा आवश्यकतानुसार जिलों को आवंटित की जायेगीऔर तदनुसार शासन को अवगत कराया जायगा । स्वीकृत धनराशि निगम के जिला प्रबन्धकों द्वारा अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से कोषागारो से आहरित की जायेगी जिसके भुगतान की तुरन्त आवश्यकता हो ।

/ धनराशि
/

उपर्युक्त धनराशि अन्य प्रयोजनों हेतु किसी भी दशा में व्यय नहीं की जायेगी और न ही अग्रिम रूप से आहरित कर इसे पी0एल0ए0 या बैंक में जमा किया जायेगा ।

§5§ उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी तथा व्यय की गई धनराशि और लाभार्थियों आदि के सम्बन्ध में प्रगति एवं अन्य विवरण निर्धारित रूपपत्रों पर निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा शासन को नियमित रूप से भेजा

§6§ उपर्युक्त धनराशि के उपयोग प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को यथाशीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे। इस अनुदान के उपयोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-16ए के नियम लागू होगें।

§7§ प्रश्नगत ट्रेड्स के प्रशिक्षण से सम्बन्धित रूप रेखा/नियमावली संलग्नक-"अ" में दी गई है।

2. उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-92 §हरिजन एवं समाज कल्याण§ के लेखा शीर्षक "2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793-अनुसूचित जाति संघटक आयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0110" अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु अनुदान-14" सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा। चूँकि वर्ष 1990-91 के बजट साहित्य खण्ड-5 भाग-11 के पृष्ठ-106 पर नयी माँग द्वारा कराया गया प्राविधान "-04-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण" के गलत शीर्षक के अधीन मुद्रित हो गया है। अतः एतद्द्वारा स्वीकृति राशि इस लेखाशीर्षक से स्वीकृति के शीर्षक में पुनर्विनियोग कर ही व्यय की जायेगी ।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 ई-12/2124/दस दिनांक 22.11.1990 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न-यथोपरि ।

भवदीय,

ह0/-§जगन्नाथ सिंह§
संयुक्त सचिव।

§3§

पृ0सं0 3455§1§/स्पे0कम्पो0/26-3-90-25§1§/90 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा व हकदारी प्रथम/आडिट, प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, महानगर, लखनऊ।

3- निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

4- नियोजन अनु0-3/हरिजन एवं समाज कल्याण अनु0-3तथा वित्त §व्यय नियन्त्रण§ अनु0-12 ।

5- संबंधित अपर जिला विकास अधिकारी§ह0क0§, उ0प्र0।

6- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

ह0/-§जगन्नाथ सिंह§ संयुक्त सचिव